1 आपराधिक प्रकरण कमांक 231/2016 ई0फौ०

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक 231 / 2016 संस्थापित दिनांक 04 / 05 / 2016

> श्रीमती रामश्री पत्नि सुधाराम उम्र 45 वर्ष जाति कुशवाह निवासी ग्राम गंगापुरा थाना मौ, परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

> > परिवादी

बनाम

- रमेश पुत्र श्री रामभरोसे उम्र 45 वर्ष
- ATTACAN PARETO सुनील पुत्र श्री रमेश उम्र 20 वर्ष निवासीगण ग्राम गंगापुरा थाना मौ, जिला भिण्ड म०प्र०।

अभि<u>युक्तगण</u>

(परिवादपत्र अंतर्गत धारा– 323, भा०द०सं०) . (परिवादी द्वारा अधिवक्ता– श्री आर पी एस गुर्जर (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता-श्री ए के राणा)

<u>::- निर्णय -::</u> (आज दिनांक 29.05.2017 को घोषित)

आरोपीगण पर दिनांक 20.06.14 की वीरेन्द्र कुशवाह के दरवाजे पर ग्रम गंगापुरा में फरियादिया श्रीमती रामश्री की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेत् भा०दं०सं० की धारा 323 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

संक्षेप में परिवाद पत्र इस प्रकार है कि परिवादिया ग्राम गंगापुरा थाना मौ की निवासी है दिनांक 20.06.14 को सुबह लगभग 7 बजे परिवादिया वीरेन्द्रकुशवाह का पड़ा लेने गई थी। जब वह वीरेन्द्र के दरवाजे पर पहुंच थी तो आरोपी रमेश एवं सुनील परिवादिया को मिले थे और परिवादिया से उस तरफ आने से मना किया था। परिवादिया ने कहा था कि वह तो वीरेन्द्र के घर आई है इसी बात पर दोनों आरोपीगण उसे गाली गलीच करने लगे थे तथा दानों आरोपीगण ने उसकी लात-घूसों से मारपीट की थी जिससे उसके शरीर में मूदी चोटें आई थीं । मौके पर घटना श्रीराम, रामनारायण एवं करनसिंह ने देखी थी तथा उन्होंने बीच बचाव किया था। उसने घटना की रिपोर्ट थाना मों में की थी उसकी रिपोर्ट पर थाना मों में अदम चैक क0 48/14

- 3. परिवाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध भां0दं0सं0 की धारा 323 के अंतर्गत परिवाद का संज्ञान लिया गया है एवं आरोपीगण की उपस्थिति हेतु सूचना पत्र जारी किए गए थे।
- 4. आरोपीगण के उपस्थित होने पर आरोपीगण के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 323 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया । आरोपीगण को अपराध की विषिष्टियां पढकर सुनाई व समझायी जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- 5. दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूटा फंसाया गया है।

इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ हैं :--

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 30.06.14 को वीरेन्द्र कुशवाह के दरवाजे पर ग्राम गंगापुरा में फरियादी श्रीमती रामश्री की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में परिवादी की ओर से स्वयं परिवादी रामश्री अ0सा01 साक्षी करनसिंह अ0सा02 एवं श्रीराम अ0सा03 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में स्वयं आरोपी रमेश वा0सा01 को परीक्षित कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में परिवादी रामश्री अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो साल पहले जेठ माह की सुबह सात बजे की है। वह भैंस का पड़ा लेने वीरेन्द्र सिंह के यहां गई थी। वहां पर आरोपी सुनील व रमेश दोनों उसे गाली गलौंच करने लगे थे फिर दोनों लागों ने पत्थर व लात ह स्सों से उसकी मारपीट की थी जिससे उसके हाथ व शरीर में जगह—जगह चोटें आई। मौके पर करनसिंह एवं श्रीराम ने बीच बचाव किया था। उसने सरपंच को बुलाया था तो सरपंच ने उसे थाने जाने के लिए कहा था उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी, अदम चैक प्र0पी01 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था। प्रतिपरीक्षण के पद क0 2 में उक्त साक्षी नेव्यक्त किया है कि उसके और आरोपीगण के मध्य इस प्रकरण के अलावा अन्य प्रकरण भी चल रहे है। उसके दांहिने हाथ में कलाई के पास चोट थी। उसने मौ में अपनी डॉक्टरी कराई थी उसके शरीर में दो तीन

3 आपराधिक प्रकरण कमांक 231/2016 ई0फौ0

चोटें थीं, कहा—कहां चोट थी वह नहीं बता सकती है। पद क03 में उक्त साक्षी का कहना है कि रमेश ने उसके दांहिने हाथ की कलाई में चोट पहुचाई थी एवं सुनील ने एडी में पत्थर मारा था व छाती में चोट पहुंचाई थी।

- 8. परिवादी साक्षी करनसिंह अ०सा०२ एवं श्रीराम अ०सा०३ ने भी परिवादी के कथनों के समर्थन में साक्ष्य दी है।
- 9 तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी एवं साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। परिवादी द्वारा रंजिशन आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 10. बचाव के दौरान आरोपी रमेश वा०सा०1 द्वारा स्वयं को परीक्षित कराया गया है। रमेश वा०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि परिवादी के घरवालों से उसकी लड़ाई चल रही है। दिनांक 22.06.13 से उसकी रंजिश चल रही है। परिवादी के घरवालों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए झूठा दीवानी दावा चलाया है। परिवादिया के घरवालों ने मारपीट की थी जिसमें अमरसिंह, सुधाराम, श्रीराम एवं सुरेन्द्र को सजा हुई थी फरियादिया सुधाराम की पत्नि है। दीवानी एवं फौजधारी मामले की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्र0डी01 एवं प्र0डी02 है। प्रतिपरीक्षण के पद क्02 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रामश्री के घरवालों से उसकी रंजिश चल रही है फिर कहा कि रामश्री से उसकी कोई रंजिश नहीं है।
- 11. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि परिवादी रामश्री एवं साक्षी करन सिंह एवं श्रीराम एक ही परिवार के सदस्य हैं परिवादी द्वारा किसी भी साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकारयोग्य नहीं है परिवादी के कथनों की स्वतंत्र साक्षियों से संपुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है। यदि परिवादी के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्विक बिंदुओं से परे रहे हों तो मात्र इस आधार पर परिवादी के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जाएगा तो उसके कथनों की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हितबद्ध होने के आधार पर किसी भी साक्षी के कथनों की विश्वसनीयता खंडित नहीं होती है। हितबद्ध साक्षी की साक्ष्य के संबंध में विधि केवल यह अपेक्षा करती है कि हितबद्ध साक्ष्यों की साक्ष्य का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी रामश्री अ0सा01 एवं साक्षी करनसिंह अ0सा02 तथा श्रीराम अ0सा03 के कथन इतने विश्वसनीय हैं जिसके आधार पर आरोपीगण को दोषारोपित किया जा सकता है।

4 आपराधिक प्रकरण कमांक 231/2016 ई0फौ0

- प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी रामश्री अ०सा०१ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में 12. व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह वीरेन्द्र सिंह के यहां पड़ा लेने गई थी तो आरोपी सुनील एवं रमेश गाली गलौंच करने लगे थे तथा दोनों आरोपीगण ने पत्थर एवं लातघूसों से उसकी मारपीट की थी जिससे उसके हाथ एवं शरीर में जगह-जगह चोटें आई थीं। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि मारपीट में उसके दांहिने हाथ की कलाई एवं छाती में चोट आई थी। उसने थाना मो में अपनी डॉक्टरी कराई थी। इस प्रकार परिवादी रामश्री अ०सा०१ ने अपने कथन में आरोपी सुनील एवं रमेश द्वारा उसकी पत्थर एवं लातघुसों से मारपीट करना बताया है तथा यह भी बताया है कि सुनील ने उसकी एडी में पत्थर मारा था परिवादी साक्षी करन सिंह अ0सा05 ने भी आरोपीगण द्वारा रामश्री की थप्पड एवं पत्थरों से मारपीट होना बताया है। श्रीराम अ0सा02 ने भी अरोपीगण द्वारा रामश्री की ईट पत्थर एवं डंडे से मारपीट होना बताया है परंतु इस तथ्य का उल्लेख कि परिवादी रामश्री की मारपीट पत्थर एवं डंडों से भी हुई थी परिवाद पत्र में नहीं है। स्वयं परिवादी रामश्री अ0सा01 ने अपने कथन में आरोपीगण द्वारा उसकी पत्थर से मारपीट करना बताया है एवं यह भी बताया है कि आरोपी सुनील ने उसकी एडी में पत्थर मारा था परंतु इस तथ्य का उल्लेख परिवाद पत्र में नहीं है इस प्रकार उक्त बिंद् पर परिवादी रामश्री अ०सा०१ के कथन परिवाद पत्र से किंचित विरोधाभाषी रहे है। उक्त बिंद् पर परिवादी साक्षी करनसिंह अ0सा02 एवं श्रीराम अ0सा03 द्वारा भी अपने कथनों को न्यायालय के समक्ष किंचित बढाचढाकर प्रस्तुत किया गया है परंतु यह मानवीय स्वभाव है कि वह इस कारण से कि उसके कथनों पर अधिक विश्वास किया जाए अपने कथनों को बढाचढाकर प्रस्तुत करता है परंतु मात्र इस आधार पर परिवादी एवं साक्षीगण के संपूर्ण कथनों अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह झूट एवं सच के मिश्रण में से सच को पृथक करे।
- 13. परिवादी रामश्री अ०सा०1 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने सरपंच को बुलाया था तो सरपंच ने उसे थाने जाने केलिए कहा था परंतु इस तथ्य का उल्लेख परिवाद पत्र में नहीं है परंतु उक्त तथ्य इतना तात्विक नहीं है कि उसके आधार पर अभियोजन घटना पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो।
- 14. परिवादी रामश्री अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि मारपीट में उसके दांहिने हाथ की कलाई एवं छाती में चोट आई थी तथा उसने मौ में डॉक्टरी कराई थी परंतु उक्त संबंध में कोई चिकित्सकीय रिपोर्ट परिवादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भा0दं0सं0 की धारा 323 को प्रमाणित होने के लिए दर्शनीय चोट अथवा मेडिकल रिपोर्ट होना आवश्यक नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी रामश्री अ0सा01 ने अपने कथन में आरोपीगण द्वारा लातघूसों से उसकी मारपीट करना बताया है। परिवादी साक्षी करनिसंह अ0सा02 एवं श्रीराम अ0सा03 ने भी अरोपीगण द्वारा परिवादी रामश्री की मारपीट करना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोडकर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। प्र0पी01 की अदम चैक में भी परिवादी को मेडिकल हेतू भेजे जाने का

उल्लेख है। यद्यपि परिवादी की मेडिकल रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न नहीं है परंतु प्र0पी01 की अदम चैक से यह तो स्पष्ट है कि परिवादी को चोटें होने के कारण मेडिकल के लिए भेजा गया था। इसके अतिरिक्त परिवादी रामश्री अ0सा01 ने अपने कथन में आरोपीगण द्वारा उसकी लातघूसों से मारपीट करना बताया है एवं उक्त मारपीट से परिवादी को शारीरिक पीडा होना स्वाभाविक है तथा शारीरिक पीडा में भा0दं0स0 की धारा 319 के अंतर्गत उपहित की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में मात्र चिकित्सकीय रिपोर्ट अभिलेख में संलग्न न होने से उक्त परिवादपत्र के विपरीत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है।

- 15. आरोपीगण अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि परिवादी रामश्री अ0सा01 ने घटना उसके न्यायालीन कथन से दो साल पहले की होना बताया है जबिक परिवादी साक्षी करनसिंह अ0सा02 एवं श्रीराम अ0सा0 3 ने घटना उनके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पहले की होना बताया है। यह तथ्य फरियादी के कथनों को अविश्वसनीय बना देता है परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकारयोग्यानहीं है यद्यपि परिवादी रामश्री अ0सा01 ने अपने कथन में घटना उसके न्यायालयीन कथन से दोसाल पहले की होना बताया है जब कि परिवादी साक्षी करनसिंह अ0सा02 एवं श्रीराम अ0सा03 ने घटना लगभग तीन साल पहले की होना बताया है इस प्रकार उक्त बिंदु पर परिवादी एवं साक्षीगण के कथन किंचित विरोधाभाषी रहे हैं परंतु उक्त विरोधाभाष इतना तात्विक नहीं है जिससे अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता हो।
- 16. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि आरोपीगण की रिपोर्ट पर परिवादी के पति सुधाराम को भाठदंठसठ की धारा 326 में सजा हो चुकी है एवं उक्त रंजिश के कारण परिवादी द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है। आरोपी रमेश वाठसाठा ने भी अपने कथन में बताया है कि रामश्री के घरवालों से उसकी रंजिश चल रही है उसके घरवालों ने उसकी मारपीट की थी जिसमें सुधाराम को सजा हो गई थी एवं फरियादी रामश्री सुधाराम की पत्नि है। परिवादी रामश्री अठसाठा ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसके पति एवं आरोपीगण के मध्य भाठदंठसठ की धारा 326 का मामला चला था जिसमे उसके पति को सजा हुई थी। इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व से रंजिश विद्यमान है परंतु रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है। यदि रंजिश के कारण परिवादी द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया जा सकता है तो रंजिश के कारण ही आरोपीगण द्वारा परिवादी की मारपीट की जा सकती है। अतः मात्र रंजिश के आधार पर आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 17. प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी रामश्री अ०सा०१ ने अपने कथन में आरोपी सुनील एवं रमेश द्वारा उसकी लातघूसों से मारपीट करना बताया है एवं यह भी व्यक्त किया है कि उसने उक्त संबंध में पुलिस थाना मौ में प्र०प्री० १ की अदम चैक भी लेखबद्ध कराई थी। परिवादी साक्षी

करनिसंह अ0सा02 एवं श्रीराम अ0सा03 ने भी परिवादी रामश्री अ0सा01 के कथन का पूर्णतः समर्थन किया है एवं आरोपीगण द्वारा परिवादी रामश्री की मारपीट किए जाने बावत् प्रकटीकरण किया है। उक्त सभी साक्षियों का बचावपक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षियों के कथन तुच्छ विसंगतियों को छोडकर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहे है। परिवादी रामश्री अ0सा01 द्वारा घटना के संबंध में प्र0पी01 की अदम चैक भी लेखबद्ध कराई गई है एवं परिवादी रामश्री अ0सा01 के कथन तात्विक बिंदुओं पर परिवाद पत्र एवं प्र0पी01 की अदम चैक से भी पुष्ट रहे है। आरोपीगण की ओर से परिवादी के कथनों के खंडन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थित में परिवादी की अखंडित रही साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है।

- 18. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से संदेह से परे यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक 20.06.14 को आरोपीगण ने परिवादी रामश्री की मारपीट कर उसे उपहित कारित की।
- 19. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण द्वारा परिवादी को स्वेच्छया उपहित कारित की गई थी? उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि परिवादी एवं आरोपीगण के मध्य आपस में विवाद हुआ था एवं उक्त विवाद के दौरान परिवादी की लातघूसों से मारपीट की गई थी। आरोपीगण वयस्क व्यक्ति है तथा घटना के संबंध में यह समझने में सक्षम थे कि उनके द्वारा जिस तरीके से परिवादी रामश्री की मारपीट की जा रही है उससे परिवादी को उपहित कारित होना संभावित है। आरोपीगण का ऐसा कहना भी नहीं है कि उनके द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए परिवादी रामश्री को उपहित कारित की गई थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से यही दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा परिवादी रामश्री को स्वेच्छया उपहित कारित की गई थी।
- 20. फलतः उपरोक्त चरणों की गई समग्र विवेचना से परिवादी संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रही है कि आरोपीगण ने दिनांक 20.06.14 को वीरेन्द्र कुशवाह के दरवाजे पर ग्राम गंगापुरा में परिवादी श्रीमती रामश्री की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की थी। फलतः यह न्यायालय आरोपी रमेश एवं सुनील को भा0दं0सं0 की धारा 323 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।
- 21. आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को औपचारिक रूप से सजा के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।
- 22. आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता हैकि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई

पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है आरोपीगण द्वारा नियमित रूपसे विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपीगण द्वारा जिस तरह से फरियादी की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गई है उन परिस्थितियों में आरोपीगण को परिवीक्षा पर छोडा जाना उचित नहीं है। आरोपीगण को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित है। फलतः यह न्यायालय आरोपी रमेश एवं सुनील में से प्रत्येक को भादस की धारा 323 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं पांच-पांच सौ रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर 15-15 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित करती है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते 23. है।

24.

प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे है उसके संबंध मे धारा 25 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपीगण इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहे हैं 🏴

स्थान – गोहद दिनांक - 29-05-2017 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया

सही / – (प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेण गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)